उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग—7

संख्या-- 59 (1)/38—7—09—10एनआरईजीए/2005

लखनऊ: दिनांक: 07 जनवरी, 2009

अधिसूचना संख्या 59/38-7-09—10एनआरईजीए/2005 दिनांक: 07-01-2009 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारण्टी(तृतीय संशोधन) योजना, 2008(अंग्रेजी रूपान्तरण सहित) निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमख सचिव, न्याय एवं विधायी एवं विधि परामर्शी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक।
(10) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(11) वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 एवं वित्त(आय—व्यय) अनुभाग—1।
(12) नियोजन अनुभाग-1/विधायी अनुभाग—1।
(13) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को उपर्युक्त अधिसूचना (अंग्रेजी रूपान्तरण सहित) की दो सत्यापित प्रतियों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को विधायी परिशिष्ट, भाग—4 खण्ड(ख) (परिनियत आदेश) के अन्तर्गत असाधारण गजट में मुद्रित कराकर(मुख पत्र सहित) अधिसूचना की [illegible] शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(14) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)

अनुसचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग –7
संख्या– 59 /38–7–09–10एन0आर0ई0जी0ए0/2005
लखनऊः दिनांक 07 जनवरी, 2009

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897(अधिनियम संख्या–10 सन् 1897) की धारा–21 के साथ पठित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम–2005(अधिनियम संख्या–42 सन् 2005) की धारा–4 की उपधारा–(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, सरकारी अधिसूचना संख्या–107/38–7–2006–एनआरईजीए/06 दिनांकः 08 फरवरी, 2007 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित योजना बनाते हैंः–

उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारण्टी(तृतीय संशोधन) योजना, 2009

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1- (1) यह योजना उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारण्टी(तृतीय संशोधन) योजना, 2008 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 की धारा–3 की उपधारा–(1) के अधीन अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

खण्ड–2.1.3 का संशोधन।

2–सरकारी अधिसूचना संख्या–107/38–7–2007–8एनआरईजीए/06 दिनांकः 8 फरवरी, 2007 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में जिसे आगे उक्त योजना कहा गया है, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड 2.1.3 के स्थान पर स्तम्भ–2 मे दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
2.1.3 मुख्य विकास अधिकारी"जिला कार्यक्रम समन्वयक" तथा जिला विकास अधिकारी "अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक" विनिर्दिष्ट किये जाते हैं।	2.1.3 जिलामजिस्ट्रेट "जिला कार्यक्रम समन्वयक," मुख्य विकास अधिकारी, "अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक" और परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को "संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक" के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है।

खण्ड–5.5 का संशोधन।

3. उक्त योजना में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड 5.5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
प्रस्तर–5.5 तकनीकी सहायकों की शैक्षिक योग्यता निम्नवत होगीः– 1. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता– हाईस्कूल एवं सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल ट्रेड में डिप्लोमा। 2. विकास खण्ड स्तर पर तकनीकी सहायक की सेवाएं लेने के लिए अभ्यर्थी के पास	प्रस्तर–5.5 तकनीकी सहायकों की शैक्षिक अर्हता निम्नवत होगीः– 1. सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल ट्रेड में डिप्लोमा के साथ हाईस्कूल परीक्षा या बी0एस0सी0(ए.जी.) उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2. विकास खण्ड स्तर पर तकनीकी सहायक की सेवाएं लेने के लिए अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त शैक्षिक अर्हताओं के साथ–साथ 08 वर्ष का अनुभव भी होना

उक्त शैक्षिक अर्हता के साथ–साथ 08 वर्ष का अनुभव भी अवश्य होना चाहिए।	चाहिए।

खण्ड– 6.3 का संशोधन

4. उक्त योजना में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड 6.3 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिए गये खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
6.3 जिला स्तर– भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के कार्यकारी दिशा निर्देश 2008 के प्रस्तर–8.3.2 के अनुसार ग्राम पंचायत से संबंधित कार्यों के सापेक्ष धनराशि ग्राम प्रधान तथा ग्राम विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित खाते में ग्राम पंचायत की कार्य योजना /मांग के अनुसार भी धनराशि निर्गत की जा सकती है। ग्राम पंचायतों को निर्गत धनराशि की सूचना कार्यक्रम अधिकारी को दी जायेगी।	6.3 जिला स्तर– इस खाते का संचालन जिला कार्यक्रम समन्वयक और अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के कार्यकारी दिशा निर्देश 2008 के प्रस्तर–8.3.2 के अनुसार ग्राम पंचायत से संबंधित कार्यों के सापेक्ष धनराशि ग्राम पंचायत की कार्य योजना/मांग पर ग्राम प्रधान तथा ग्राम विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित खाते में निर्गत की जा सकती है। ग्राम पंचायतों को निर्गत धनराशि की सूचना कार्यक्रम अधिकारी को दी जायेगी।

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव।